न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 40/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा।

बनाम

1. प्रेम
2. गीता
3. बाबू
4. पप्पू
5. राजू

} पुत्रियां ईशरा जाति धोबी निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:–निर्णयः–

दिनांकः 27.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 441 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010 में गैर मुमकिन तलाई भूमि दर्ज है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में किये गये अंकन के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2059–63 खाता सं. 07 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 910, 911 रकबा 1.00 है. सेटलमेन्ट से पूर्व अप्रार्थी स्व. ईशरा पुत्र लक्ष्मण जाति धोबी निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान को आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम सेटलमेन्ट से पूर्व गैर खातेदारी व खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार भूमि ख. नं. 909 रकबा 0.34 है. 910 रकबा 0.59 है. 911 रकबा 0.41 है. अप्रार्थीगण प्रेम, गीता, बाबू, पप्पू, राजू पुत्रियां ईशरा कौम धोबी के नाम साह. देह खातेदारी दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी को निरस्त कर पुनः भूमि को किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु यह रेफरेन्स राजकीय अधिवक्ता के जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा इस न्यायालय में सुनवाई हेतु पेश किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं.

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

441 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010 में गैर मुमकिन तलाई भूमि दर्ज है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में किये गये अंकन के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2059—63 खाता सं. 07 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 910, 911 रकबा 1.00 है. सेटलमेन्ट से पूर्व अप्रार्थी स्व. ईशरा पुत्र लक्ष्मण जाति धोबी निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान को आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम सेटलमेन्ट से पूर्व गैर खातेदारी व खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के अनुसार भूमि ख. नं. 909 रकबा 0.34 है. 910 रकबा 0.59 है. 911 रकबा 0.41 है. अप्रार्थीगण प्रेम, गीता, बाबू, पप्पू, राजू पुत्रियां ईशरा कौम धोबी के नाम साह. देह खातेदारी दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणो को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नाला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आर.एल.आर एवं 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियो को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 441 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010 में गैर मुमकिन तलाई भूमि दर्ज है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में किये गये अंकन के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2059—63 खाता सं. 07 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 910, 911 रकबा 1.00 है. सेटलमेन्ट से पूर्व अप्रार्थी स्व. ईशरा पुत्र लक्ष्मण जाति धोबी निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान को आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम सेटलमेन्ट से पूर्व गैर खातेदारी व खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के अनुसार भूमि ख. नं. 909 रकबा 0.34 है. 910 रकबा 0.59 है. 911 रकबा 0.41 है. अप्रार्थीगण प्रेम, गीता, बाबू, पप्पू, राजू पुत्रियां ईशरा कौम धोबी के नाम साह. देह खातेदारी दर्ज है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर दौसा